न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जिला- झांसी।

प्रकीर्ण वाद संख्या- 181/ 2022

श्रीमती मालती **बनाम** **महाराज सिंह आदि।**

धारा- 156(3) दं. प्र. सं.

थाना- गुरसरांय, जिला- झांसी।

दिनांक- 14. 11. 2022-

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र आवेदिका श्रीमती मालती द्वारा अर्न्तगत धारा- 156(3) दं. प्र. सं. विपक्षीगण महाराज सिंह उर्फ गोटीराम यादव आदि के विरूद्व प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर थाना- गुरसरांय, जिला झांसी में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना का आदेश निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिया ग्राम बरगांय अहीर थाना गुरसरांय जिला झाँसी की निवासी है। दिनाँक 05. 10. 2022 को समय करीब 12:30 बजे दिन प्रार्थिया व उसके जेठ करन सिंह पुत्र भानुप्रताप अपने खेत में खड़ी तिली की फसल की कटाई कर रहे थे, तो उसी समय विपक्षीगण महाराज सिंह उर्फ गोटीराम यादव पुत्र रमेश यादव एवं श्रीमती शकुन्तला यादव पत्नी महाराज सिंह उर्फ गोटीराम यादव, बलबीर तनय रमेश यादव, श्रीमती शीला पत्नी बलबीर यादव, रमेश यादव तनय पृथ्वी सिंह व श्रीमती रामश्री पत्नी रमेश यादव निवासीगण बरगांय अहीर थाना गुरसरांय जिला झाँसी एकराय होकर अपने हाथों में लाठी डण्डा लेकर आये और प्रार्थिया व उसके जेठ करन सिंह को माँ बहन की गन्दी- गन्दी गालियां देने लगे। प्रार्थिया के जेठ ने उक्त विपक्षीगण को गालियां देने से मना किया तो उक्त विपक्षीगण प्रार्थिया के जेठ करन सिंह को मारने के लिये दौड़े। प्रार्थिया का जेठ खेत में बने घर में घुस गया तो उपरोक्त विपक्षीगण खेत में बने घर के अन्दर घुस आये और उसके जेठ करन सिंह को लाठी डण्डों से मारा पीटा जिससे उसके जेठ को काफी चोटें आयीं। प्रार्थिया के जेठ करन सिंह के चिल्लाने पर आस- पास खेतों में काम कर रहे गाँव के ही मानवेन्द्र पुत्र बीरेन्द्र यादव, रविकान्त पुत्र रामलखन, रामलखन तनय बलवान आदि व्यक्ति आ गये जिन्होने बीच बचाव किया व घटना को देखा। उक्त विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देकर चले गये। प्रार्थिया द्वारा उपरोक्त घटना के संबंध में थाना गुरसरांय में प्रार्थनापत्र दिया ,लेकि कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तब प्रार्थिया ने पंजीकृत डाक से दिनांक 18. 10. 2022 को एस०एस०पी० झांसी को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक ने स्वयं का शपथपत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी को प्रेषित पत्र की कार्बन प्रति मय डाक रसीद, मेडिकल प्रपत्र व आधार कार्ड की छायाप्रति आदि दाखिल किये हैं।

प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में सम्बधित थाना- गुरसरांय, झांसी की आख्या दिनांकित 28. 10. 2022 के अनुसार दोनों पक्षों आय दिन मारपीट, गोली गलौच व लडाई झगड़ा करने पर आमादा रहते हैं तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दोनों पक्षों के विरूद्ध दिनाँक 10. 10. 2022 को अन्तर्गत धारा 107/ 116 दं०प्र०सं० की कार्यवाही अमल में लायी गयी है। पूर्व में आवेदिका मालती एवं उसकी सहयोगी लाली पत्नी मानवेन्द्र द्वारा विपक्षी महाराज सिंह उर्फ गोटीराम पुत्र रमेश सिंह यादव के विरूद्ध थाना गुरसरांय में मु०अ०सं०- 261/ 2022 धारा 452/ 323/ 506 भा०दं०सं० का बनाम महाराज सिंह उर्फ गोटीराम पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना सम्पादित की गयी। आवेदिका द्वारा दिये प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि न होने के कारण थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है।"

माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था विश्वनाथ प्रति स्टेट आफ यू०पी० २००९ क्रिमनल ला जनरल पेज- १४९ तथा विविध वाद सं०- ९३९७/ २००७ सुखवासी बनाम

उ०प्र० राज्य में माननीय उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि प्रार्थी के धारा- १५६(३) द०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र पर यह मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार है कि वह उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दे सकता है अथवा उसे परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दे सकता है।

इसी प्रकार मानीनय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुरेश चन्द्र जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए०आई०आर० २००१ सु०कोर्ट पेज- ५७१ में यह अवधारित किया है कि यह विधि का सुनिश्चित सिद्धान्त है कि धारा- १५६(३) द०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करना, मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार है।

यह न्यायालय इस मत का है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी व विपक्षीगण आपस में भलीभांति एक दूसरे से परिचित हैं तथा प्रार्थिया अपराध को साबित करने के लिए सभी विवरणों व तथ्यों की जानकारी रखती है। पत्रावली पर प्रस्तुत उपहति आख्या की छायाप्रति के अवलोकन से साधारण प्रकृति की चोट आना दर्शित है। प्रार्थिया प्रकरण से संबंधित सभी तथ्यों की पूर्ण जानकारी रखती है व किसी तथ्य के बावत साक्ष्य संकलन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं थाने की आख्या को मद्देनजर रखते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने के आधार पर्याप्त नहीं है।

ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों के प्रकाश में आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों व उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर प्रस्तुत मामले में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना का आदेश निर्गत न कर, न्यायालय द्वारा स्वंय जांच किया जाना न्यायोचित व तर्क संगत है। तदनुसार प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिया श्रीमती मालती द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- 156(3) दं०प्र०सं० दिनांकित- 21. 10. 2022 को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाता है। पत्रावली वास्ते परिवादिया साक्ष्य धारा- 200 द०प्र०सं० हेतु दिनांक- 13. 12. 2022 को प्रस्तुत हो। परिवादिया गवाहान सूची नियत तिथि के पूर्व दाखिल कर सकता है।

(सुनील शेखर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झांसी।

धनंजय कुमार
आशुलिपिक